म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, जेल रोड, भोपाल

95

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-1/पार्ट-3/148 भोपाल, दिनांक 20/06/2018

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- **नगर पालिक निगम क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समितियों** के प्रांगण में अंशकालीन साफ–सफाई की आवश्यक व्यवस्था नगर पालिक निगम से कराये जाने के संबंध में।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की अंशकालीन साफ–सफाई हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को नियुक्त करने के संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

उक्त जारी निर्देशों के अतिरिक्त यदि नगर पालिक निगम क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समितियाॅ अपने प्रांगण/परिसर की साफ सफाई का कार्य नगर पालिक निगम से कराना चाहती है तो संलग्न अनुबंध प्रारूप अनुसार अनुबंध निष्पादित कर नियमानुसार कार्यवाही स्वंय कर सकती है।

संलग्न – अनुबंध प्रारूप

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/35-1/पार्ट-3/ 149 भोपाल, दिनांक 20 /06/2018

प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त नगर पालिक निगम................ (म.प्र.)

(2) अपर संचालक (**प्रांगण**) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

(3) संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,..... (**समस्त**) की ओर आवश्य कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

— // अनुबंध // —

यह करार नामा आयुक्त, नगर पालिक निगम, ... एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ... के बीच संपूर्ण मण्डी प्रांगणों/परिसर एवं इसके गेटो के सामने वाली सड़क एवं क्षेत्र इत्यादी की साफ–सफाई हेतु दिनांक .... को निम्न शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादित किया जाता है :–

01. नगर पालिक निगम, ... को मण्डी प्रांगण/परिसर की सम्पूर्ण साफ–सफाई जिसमें पानी निकासी, कचरा सफाई, भूमिगत नालियों की सफाई, शौचालय एवं मुत्रालय की सफाई आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियमिति रूप से सुनिश्चित करना होगी । इस के लिए निम्नानुसार न्यूनतम अमला एवं मशीनरी होना अनिवार्य होगा :–

- दरोगा – दो शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में एक–एक । (प्रथम शिफ्ट प्रातः 10:00 से 06:00 बजे एवं द्वितीय शिफ्ट सांय 06:00 से 02:00 बजे तक)
- सफाई मित्र – दो शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 15 – 15 (प्रथम शिफ्ट प्रातः 10:00 से 06:00 बजे एवं द्वितीय शिफ्ट सांय 06:00 से 02:00 बजे तक)
- एक गारबेज ट्रिपर
- एक जे.सी.बी.
- एक टाटा 709 अथवा समकक्ष लोडिंग वाहन
- क्षेत्रीय सी.एस.आई. एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पर्यवेक्षण
- माह में एक बार सड़कों की हाई प्रेशर जेट मशीन से धुलाई ।

02 प्रांगण में साफ–सफाई हेतु झाडू, फिनायल, ट्राली तथा परिवहन इत्यादि सामग्री आवश्यक व्यवस्था स्वंय नगर पालिक निगम को अपने साधनों से सुनिश्चित करना होगी ।

03. नगर पालिक निगम द्वारा साफ–सफाई हेतु स्वंय के स्तर से कामगार (सफाईकर्मी) रखे जावेंगे । साफ–सफाई कर्मचारियों को निर्धारित गणावेश (वर्दी) में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा, जो उन्हें नगर पालिक निगम द्वारा प्रदाय की जावेगी । सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वंय नगर पालिक निगम को करने होंगे ।

04. किसी भी सफाईकर्मी के अवकाश व बीमारी की स्थिति में तत्काल नये कर्मचारी की व्यवस्था की जवाबदारी नगर पालिक निगम की रहेगी।

05. यह कि कोई सफाई कर्मचारी किसी गैर कानूनी कार्य कलाप में लिप्त पाया जाता है व उसके द्वारा अभद्रता की जाती है या किसी सामान की चोरी करता है या चोरी की शंका होती है तो ऐसी स्थिति में मण्डी समिति को अधिकार रहेगा की ऐसे सफाईकर्मी को तत्काल परिसर से हटा दे एवं इस प्रकार मण्डी समिति को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति नगर पालिक निगम को करनी होगी । ऐसी राशि नगर पालिक निगम को देय भुगतान की जाने वाली राशि से वसूल की जा सकेगी ।

06. परिसर के महिला शौचालयों एवं यूरिनलों की सफाई हेतु महिलाकर्मी रखना अनिवार्य होगा ।

07\. यह कि नगर पालिक निगम द्वारा सफाई कर्मियों का एक उपस्थिति रजिस्टर संधारण किया जावेगा । मासिक उपस्थिति का सत्यापन प्रांगण प्रभारी के या उसके उपर के अधिकारी द्वारा करने के उपरांत ही भुगतान देय होगा ।

08\. नगर पालिक निगम का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तांतरण नहीं होगा तथा स्वीकृत राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि का पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा ।

09\. नगर पालिक निगम से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों को रहेगा।

10\. नगर पालिक निगम को विधिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11\. उक्त सफाई कार्य की अवधि में वृद्धि/समाप्ति उभयपक्षों की आपसी सहमति से की जा सकेगी।

12\. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला................ को मण्डी के कचरे का निपटान शुल्क राशि रूपयें .... समस्त कर सहित प्रतिमाह देय होगा।

13\. कचरे की मात्रा बढने पर एवं निगम के कचरा प्रबंध शुल्क दरों में परिवर्तन होने की स्थिति में निगम द्वारा की जाने वाली नियमानुसार कार्यवाही बंधनकारी होगी।

14\. अनुबंध अनुसार निर्धारित राशि का प्रत्येक माह की 10 तारिख तक भुगतान चेक द्वारा आयुक्त, नगर पालिका निगम, ... के नाम से मद कमांक .... कचरा प्रबंध शुल्क निगम में जमा करवाया जाना होगा।

उक्त अनुबंध में वर्णित शर्तों को स्वरथ्य चित्त से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष आज दिनांक .... को कर दिये कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे ।

स्थान :-

दिनांक :-

(1) पक्ष क्रमांक - 1

....

.... आयुक्त,

.... (नगर पालिक निगम)

(2) पक्ष क्रमांक - 2

....

.... सचिव,

.... कृषि उपज मण्डी समिति,

.... जिला ....